संख्या-433/2026/2013/69-1-26-2102907

प्रेषक,

संकठा प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 02 नवम्बर, 2026

विषय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर की 26 परियोजनाओ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4341/10/छ:/विविध/2026-27 दिनांक 12.10.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत'' वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत **जनपद-गोरखुपर** की विभिन्न निकायों की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड, सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग **कुल 26 परियोजनाओं**, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है, हेतु कुल **रू0 1334.44 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् **रू0 667.22 लाख (रूपये छ: करोड़ सरसठ लाख बाईस हजार मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनपद वार कार्यों की संख्या	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लागत का 50 प्तिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	1	वार्ड सं0 02 सेमरा पार्वतीपुरम में ट्रांसफार्मर से रानी व्यूटी पार्लर, पवन चैरसिया के मकान होते हुए छोटे लाल चैरसिया के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	69.03	34.515
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	2	वार्ड सं0 02 सेमरा कमला नगर में मेनरोड से विधासागर, राहुल श्रीवास्तव के मकान से डा० डी० के० शुक्ला, हरिलाल चैरसिया, नित्यानन्द पाण्डेय, आलोक नायक, के0के0 दुबे से राय साहब के मकान होते हुए मंनरोड तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	81.86	40.93
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	3	वार्ड सं0 04 मदन मोहन मालवीय नगर में पूर्वचल हास्पिटल से मनोज व संजय दुबे के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	102.6	51.3
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	4	वार्ड सं0 07 नन्दानगर में मनोज निषाद के मकान से सुनीता पाण्डेय के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	52.85	26.425

https://shasanadesh.up.gov.in

	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	5	वार्ड सं0 08 चरगांवा सरगम में राधेश्याम के मकान से तुलसी के मकान होते हुए राधे के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	46.32	23.16
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	6	वार्ड सं0 09 नकहा में मन्हत बली पाठक के मकान से विजय आटा चक्की होते हुए आलम, मुस्तफा या शम्भू के मकान होते हुए सुरेन्द्र के मकान तक एवं विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	74.16	37.08
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	7	वार्ड सं0 09 नकहा में जयकरन के मकान से उर्मिला, जोगेन्द्र, आर०सी० पैलेस होते हुए शेषनाथ यादव व राकेश कुमार के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	110.49	55.245
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	8	वार्ड सं0 09 नकहा कौशलपुरम कालोनी में अखिलेश मल्ल के मकान से डा० ए०के० श्रीवास्तव के मकान होते हुए प्रमोद सिंह के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	31.52	15.76
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	9	वार्ड सं0 12 गणेशपुरम में अनिल शुक्ला के मकान से भागवत यादव, नवनीत उपाध्याय के मकान होते हुए मनीष तिवारी के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	25.2	12.6
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	10	वार्ड सं0 12 अशोक नगर मलिन बस्ती गांगुली टोला में श्यामा नन्दन पाण्डेय के मकान से प्रभु शर्मा के मकान होते हुए सीताराम उपाध्याय के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	12.57	6.285
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	11	वार्ड सं0 14 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में राकेश शर्मा के मकान से नवनीत टेडर्स तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	31.52	15.76
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	12	वार्ड सं0 14 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में सपना बिल्डिंग से संजय सहानी के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	39.42	19.71
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	13	वार्ड सं0 14 राजेन्द्र नगर पश्चिमी द्वारिकापुरम कालोनी में कान्हा विल्डिंग मटेरियल से पुष्पा श्रीवास्तव के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	41.8	20.9
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	14	वार्ड सं0 18 झरना टोला में भीम प्रजापति से दिवाकर पाण्डेय के मकान होते हुए संतोष सिंह, पूनम के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	41	20.5
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	15	वार्ड सं0 18 झरना टोला में रामजानकी मन्दिर से लालजी के घर, गिरजेश यादव व दशरथ निषाद के मकान होते हुए श्रवन निषाद के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	50.47	25.235
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	16	वार्ड सं0 18 झरना टोला में केरा निषाद के मकान से दिनेश यादव, विमलावती देवी के मकान होते हुए जुली के मकान तक एवं विभिन्न गलियो में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	71	35.5
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	17	वार्ड सं0 21 मोहनापुर में चुन्नीपुर रोड से सुनील यादव के घर से कुन्दन उपाध्याय के घर तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	34.68	17.34
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	18	वार्ड सं0 23 शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में संवेद्र सिंह के मकान से राम अलख व मदन गोपाल के मकान होते हुए राम मिलन के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	88.78	44.39
	गोरखपुर	न0पं0 उरूवा	19	वार्ड सं0-06,07 गोलीपार, गोलापार सम्पर्क मार्ग से गहिरीपार दलित बस्ती तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	45.04	22.52

	गोरखपुर	न0पं0 उरूवा	20	वार्ड नं0-06 मुख्यमार्ग से गहिरीपार पप्पू के घर होते हुये दलित बस्ती तक सी०सी० सडक, नाली निर्माण कार्य।	38	19
	गोरखपुर	न0पं0 उरूवा	21	वार्ड नं0-11 में मझगांवा बस्ती में सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	30.15	15.075
	गोरखपुर	न0पं0 उरूवा	22	वार्ड नं0-01,03 में नायक परसा यशपन्त के घर के आगे से होते हुये चचाईराम रिंकू चैहान के घर के आगे की ओर बस्ती में सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	69.07	34.535
	गोरखपुर	न0पं0 उरूवा	23	वार्ड नं0-04 मंडारिया पिच रोड से दलित बस्ती तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	34.7	17.35
	गोरखपुर	न0पं0 उरूवा	24	नगर पंचायत उरुवा वार्ड नं0-10 में धुरियापार मार्ग से मुसाफिर के घर व हरिवंश के घर होते हुए इन्द्रासन के घर तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	22.14	11.07
	गोरखपुर	न0पं0 कैम्पियरगंज	25	नगर पंचायत कैम्पियरगंज में वार्ड नं0-03 में मेन रोड से त्रिभुवन के घर तक सी०सी० सडक, नाली निर्माण कार्य।	46.57	23.285
	गोरखपुर	न0पं0 कैम्पियरगंज	26	नगर पंचायत कैम्पियरगंज में वार्ड नं0-05 भूलेश्वर चैरसिया के घर करमैनी रोड तक सी०सी० सडक, नाली निर्माण	43.5	21.75
###		योग	26	योग	1334.44	667.22
			26		1334.44	667.22

(रूपये छः करोड़ सरसठ लाख बाईस हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त

http://shrasanadesh.up.gov.in

परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव/ सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2027 तक व्यय हो सके।
16. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा की होगी।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3 उक्त आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संकठा प्रसाद)
उप सचि

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **गोरखपुर ।**
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से

(संकठा प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in